

## सपडि ववाह पर रोक

### प्रलमिस के लयि:

[हदु ववाह अधनयम, 1955 \(HMA\)](#), सपडि ववाह पर प्रतबिंध, अनाचार का अपराध, घनषिठ रकत संबंध

### मेन्स के लयि:

सपडि ववाह पर प्रतबिंध, वभिन्न कषेत्रों में वकिस के लयि सरकारी नीतयिँ और हस्तकषेप तथा उनकी रूपरेखा एवं कारयानवयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्योँ?

हाल ही में दलिली उच्च न्यायालय ने नीतू गुरोवर बनाम भारत संघ और अन्य, 2024 के मामले में [हदु ववाह अधनयम, 1955 \(Hindu Marriage Act- HMA\)](#) की धारा 5 (v) की संबधानकता की चुनौती खारजि कर दी है, जो दो हदु लोगों के एक दूसरे के "सपडि" होने की स्थिति में उनके ववाह पर रोक लगाती है।

- सपडि ववाह वशिषिट पारवारिक नकिटता साझा करने वाले वयक्तों के बीच होता है।

## कानून को चुनौती क्योँ दी गई तथा इससे संबधति न्यायालय का नरिणय क्या था?

- याचकिकारत्ता के तर्क:
  - वर्ष 2007 में एक याचकिकारत्ता की शादी को शून्य घोषति कर दयिा गया क्योँकि उसके पति ने सफलतापूर्वक सदिध कयिा कि उनका ववाह सपडि ववाह था तथा महिला उस समुदाय से नहीं थी जहाँ ऐसे ववाह को एक प्रथा माना जाता था।
  - याचकिकारत्ता ने सपडि ववाह पर प्रतबिंध की संबधानिक वैधता को चुनौती देते हुए तर्क दयिा कि प्रथा का कोई साक्ष्य न होने पर भी सपडि ववाह प्रचलति है।
  - अतः धारा 5(v) जो सपडि ववाह पर रोक लगाती है जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासति करने वाली प्रथा या प्रथा दोनों के बीच ववाह की अनुमति नहीं देती, संबधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
    - याचकिकारत्ता ने यह भी तर्क दयिा कि ववाह दोनों परिवारों की सहमति से हुआ था जो ववाह की वैधता को साबति करती है।
- दलिली न्यायालय का आदेश:
  - दलिली उच्च न्यायालय ने उनकी दलीलों को अयोग्य ठहराया तथा कहा कि याचकिकारत्ता ने एकस्थापति प्रथा (सपडि ववाह) का "उचति सबूत" प्रदान नहीं कयिा जो सपडि ववाह को उचति ठहराने के लयि आवश्यक है।
  - न्यायालय ने कहा कि ववाह में साथी का चुनाव वनियमन के अधीन हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने माना कि याचकिकारत्ता ने सपडि ववाह पर लगाए गए रोक को समानता के अधिकार का उल्लंघन सदिध करने के लयि कोई "तर्कपूर्ण कानूनी आधार" प्रस्तुत नहीं कयिा।


## सपडि ववाह क्या है?

- परिचय:
  - सपडि ववाह उन वयक्तयिों के बीच होता है जो एक नशिचति सीमा के भीतर एक-दूसरे के नकिट संबधी होते हैं।
  - सपडि ववाह को HMA की धारा 3 के तहत परिभाषति कयिा गया है, क्योँकि दो वयक्तों एक-दूसरे का "सपडि" कहे जाते हैं यदि एक वयक्ति सपडि रशिते की सीमा में दूसरे का वंशज है या यदि उनमें से प्रत्येक के संदर्भ में सपडि संबध की सीमा के भीतर एक सामान्य वंशानुगत लगन हो।
- रैखकि लगन:
  - HMA के प्रावधानों के तहत, मातृ पक्ष की ओर से एक हदु वयक्ति कयिसे वयक्ति से शादी नहीं कर सकता जो "उरध्वाधर रेखा" में

उनकी तीन पीढ़ियों के भीतर हो। पति पक्ष की ओर से, यह नषिध व्यक्तकी पाँच पीढ़ियों के भीतर किसी पर भी लागू होता है।

- व्यवहार में, इसका मतलब यह है कि अपनी मातृ पक्ष की ओर से कोई व्यक्ति अपने भाई-बहन (पहली पीढ़ी), अपने माता-पिता (दूसरी पीढ़ी), अपने दादा-दादी (तीसरी पीढ़ी) या किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता है जो तीन पीढ़ियों के भीतर इस वंश को साझा करता हो।
- उनके पति पक्ष की ओर से यह नषिध उनके दादा-दादी और पाँच पीढ़ियों के भीतर इस वंश को साझा करने वाले किसी भी व्यक्ति तक लागू होगा।

## Sapinda Relationship



### ■ HMA 1955 की धारा 5(v):

- यदि कोई विवाह सपिंड विवाह होने की धारा 5(v) का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है और ऐसी कोई स्थापित प्रथा नहीं है जो इस तरह की प्रथा की अनुमति देती हो, तो इसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा।
- इसका मतलब यह होगा कि विवाह शुरू से ही अमान्य था और ऐसा माना जाएगा जैसे कयिह कभी हुआ ही नहीं।

## विवाह से संबंधित कानूनी प्रावधान:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भी शामिल है।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह करने तथा विवाह को रजिस्ट्रीकृत करने की अनुमति प्रदान करता है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह से संबंधित कई मामलों का निपटारा किया है। जैसे-
  - लता सहि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006: न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और माता-पिता अथवा समुदाय सहित कोई भी इसमें हस्तक्षेप अथवा इसे लेकर आपत्त नहीं व्यक्त कर सकता है।
  - हालीक शक्तिवाहनी बनाम भारत संघ (2018) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि स्वैच्छिक जीवन साथी का संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 द्वारा प्रदत्त स्वातंत्र्य-अधिकार का विस्तारित रूप है।

## सपिंड विवाह के वरिद्ध नषिध के अपवाद क्या हैं?

- अपवाद का उल्लेख हद्वि विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(v) में किया गया है और इसमें कहा गया है कि यदि इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के रीति-रिवाज सपडि विवाह की अनुमति देते हैं, तो ऐसे विवाह को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा।
- दूसरे शब्दों में, यदि समुदाय, जनजाति, समूह या परिवार के भीतर कोई स्थापित प्रथा है जो सपडि विवाह की अनुमति देती है और यदि यह प्रथा लंबे समय तक लगातार तथा समान रूप से नभाई जाती है, तो इसे नषिध का एक वैध अपवाद माना जा सकता है।
  - “कस्टम” शब्द की परिभाषा HMA की धारा 3(a) में प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि एक प्रथा को लगातार और समान रूप से लंबे समय तक मनाया जाना चाहिये” तथा इसे स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समूह या परिवार में हद्विओ के बीच पर्याप्त वैधता प्राप्त होनी चाहिये, जैसे कि इसे “कानून की शक्ति” प्राप्त हो।
- हालाँकि किसी प्रथा को वैध माने जाने के लिये कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इन शर्तों के पूरा होने के बाद भी किसी प्रथा की रक्षा नहीं की जा सकती। विचाराधीन नियम “निश्चित होना चाहिये और अनुचित या सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं होना चाहिये” तथा “किसी नियम के मामले में केवल एक परिवार पर लागू होता है”, इसे “परिवार द्वारा बंद नहीं किया जाना चाहिये”।
  - यदि ये शर्तें पूरी होती हैं और सपडि विवाह की अनुमति देने वाला एक वैध रिवाज है, तो HMA की धारा 5 (v) के तहत विवाह को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा।

## क्या अन्य देशों में सपडि विवाह के समान विवाह की अनुमति है?

- फ्राँस और बेलजियम:
  - फ्राँस में नेपोलियन बोनापार्ट के शासन के दौरान अधिनियम 1810 की दंड संहिता ने अनाचार के अपराध को समाप्त कर दिया, जब तक कि इसमें सहमति से वयस्क विवाह शामिल थे।
    - अनाचार एक पुरुष और महिला के बीच होने वाले यौन संबंधों या विवाह का अपराध है जिनका आपस में नज़दीकी खून का रश्तिता होता है।
  - बेलजियम ने शुरू में वर्ष 1810 के फ्राँसीसी दंड संहिता को अपनाया और बाद में वर्ष 1867 में अपनी स्वयं की दंड संहिता पेश की, फरि भी दोनों के अधिकार क्षेत्र में अनाचार कानूनी बना हुआ है।
- पुर्तगाल:
  - पुर्तगाली कानून अनाचार को अपराध नहीं मानता है, जिसका अर्थ है कि करीबी रश्तिदारों के बीच विवाह नषिध नहीं हो सकता है।
- आयरलैंड गणराज्य:
  - वर्ष 2015 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के बावजूद, आयरलैंड गणराज्य में अनाचार पर कानून समलैंगिक संबंधों वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है।
- इटली:
  - इटली में, अनाचार को केवल तभी अपराध माना जाता है यदि इसका परिणाम "सार्वजनिक घोटाला" हो।
- संयुक्त राज्य अमेरिका:
  - संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी 50 राज्य अगम्यागमनात्मक विवाहों पर रोक लगाते हैं। हालाँकि सहमति देने वाले वयस्कों के बीच अनाचारपूर्ण संबंधों से संबंधित कानूनों में भिन्नताएँ हैं।
    - हालाँकि न्यू जर्सी और रोड आइलैंड में सहमति से वयस्क अगम्यागमनात्मक संबंधों की अनुमति है।

## नषिकर्ष

- HMA द्वारा वनियमिति सपडि विवाह की अवधारणा, कुछ वंशानुगत लगनों के अंतरगत मलिन पर रोक लगाकर पारिवारिक औसामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के प्रयास को दर्शाती है। कानून में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो इन प्रतर्बिधों का उल्लंघन करने पर विवाह को शून्य घोषित करते हैं, जब तक कि ऐसे विवाहों की अनुमति देने वाला कोई सुस्थापित रिवाज न हो।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वभिन्न देशों में अनाचार संबंधों और विवाहों पर अलग-अलग कानूनी रुख हैं, जो व्यक्तगत पसंद तथा पारिवारिक संबंधों के मुद्दों पर कानूनी दृष्टिकोण की विविधता को प्रदर्शित करते हैं।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]**

प्रश्न. भारतीय इतहिास के संदर्भ में, 1884 का रखमाबाई मुकदमा कसि पर केंद्रति था?

1. महिलाओं का शक्ति पाने का अधिकार
2. सहमति की आयु
3. दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3

- (c) केवल 1 और 3  
(d) 1, 2 और 3

उत्तर : (b)

व्याख्या

- रखमाबाई (1864-1955) ने इतिहास में अपनी पहचान उस मुकदमे के कारण बनाई, जिसके कारण सहमति की आयु अधिनियम, 1891 को प्राख्यापति किया गया।
- वर्ष 1885 में विवाह के 12 वर्ष के उपरांत, इनके पति ने "वैवाहिक अधिकारों की बहाली" की मांग की, इस मुकदमे के नरिणय में रखमाबाई को अपने पति के साथ रहने या छह महीने जेल में बताने का आदेश दिया गया। **अतः कथन 3 सही है।**
- रखमाबाई ने उस व्यक्ति के साथ रहने से इनकार कर दिया जिससे उनकी बचपन में शादी हुई थी, क्योंकि शादी में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इस संबंध में रखमाबाई ने महारानी वकिटोरिया को पत्र लिखा। रानी ने न्यायालय के फैसले को खारज़ कर दिया और विवाह को भंग कर दिया।
- इस मुकदमे ने जो लहर चलाई, उसी के परिणामस्वरूप सहमति की आयु अधिनियम, 1891 को पारित किया गया, जिसने संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में बाल विवाह को अवैध बना दिया। **अतः कथन 2 सही है।**
- हालाँकि रखमाबाई ब्रिटिश भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली महिला डॉक्टर बनीं, कति यह मुकदमा महिलाओं के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से संबंधित नहीं था। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

और पढ़ें:

<https://www.drishtijudiciary.com/hin/current-affairs/Prohibition-on-Marriage-within-Sapinda-Relationships>

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/prohibition-on-sapinda-marriage>

